उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या:17/2018/130/छप्पन-2018-07/2008 टी0सी0-01

लखनऊ : दिनांक : 06 मार्च, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में पायलट (रोटर विंग) के पद पर श्री दीपक श्रीवास्तव को रूपए 1,80,000/- (रूपए एक लाख अस्सी हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यालय-ज्ञाप संख्या-21/छप्पन-2008-53/1999 टी0सी0, दिनांक 30 जनवरी, 2008 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष (पाँच वर्ष) की अवधि के लिए संविदा सेवा के आधार पर नियुक्ति किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री दीपक श्रीवास्तव ने दिनांक 07 मार्च, 2008 को कार्यभार ग्रहण किया। तदुपरान्त पायलट (रोटर विंग) के पद पर श्री दीपक श्रीवास्तव की संविदा अवधि को शासनादेश संख्या-1929/छप्पन-2012-07/2008टी0सी0-1, दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2013 से अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान पारिश्रमिक/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 06 मार्च, 2018 को समाप्त हो रही है।

2- श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा विभाग में अग्रेत्तर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की गई है एवं श्री दीपक श्रीवास्तव की सेवाओं की अभी निदेशालय में आवश्यकता है। अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल पायलट (रोटर विंग) के पद पर श्री दीपक श्रीवास्तव की संविदा अवधि अग्रेत्तर 05 वर्ष (दिनांक 07 मार्च, 2018 से 06 मार्च, 2023) तक के लिए वर्तमान मासिक पारिश्रमिक, अनुमन्य उड़ान भत्तों तथा अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री दीपक श्रीवास्तव को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होगें। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

4- श्री दीपक श्रीवास्तव के संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

[redacted]

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

श्री दीपक श्रीवास्तव (संविदा)
पायलट (रोटर विंग),
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-17/2018/130(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि श्री दीपक श्रीवास्तव से निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।

6- कार्मिक अनुभाग-1 ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।